न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 04/2021

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आबूरोड जिला सिरोही।।

अप्रार्थी

बनाम

1. श्री पदमा पुत्र श्री दला जाति गरासिया निवासी क्यारा के कायम मुकाम–
   1.1 श्री हकमाराम पुत्र स्व. श्री पदमा जाति गरासिया निवासी क्यारा तहसील देलदर जिला सिरोही।
   1.2 श्री कीकाराम पुत्र स्व. श्री पदमा जाति गरासिया निवासी क्यारा तहसील देलदर जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)
2. अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1.1 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 1.2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 06.09.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्व पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा मुदरला, पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही के खसरा नं. 873/461 रकबा 0.18 बीघा किस्म बारानी–2 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश कमांक/राजस्व/अन्त्योदय/78/एस.पी.–2 दिनांक 29.08.1978 द्वारा अप्रार्थी श्री पदमा पुत्र श्री दला को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण दिनांक 06.09.1978 द्वारा अप्रार्थी श्री पदमा पुत्र श्री दला के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी संख्या 1.1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी, परन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 1.2 बावजूद नोटिस तामिली के इस न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी। पूर्व में अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके थे। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 873/461 रकबा 0.18 बीघा किस्म बारानी–2 का आवंटन अप्रार्थी श्री पदमा पुत्र श्री दला को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है । आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था। आवंटित भूमि पर उसका कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1.1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वर्तमान में मौके पर खसरा संख्या 873/461 रकबा 0.18 बीघा भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त है। यह है कि उक्त कृषि भूमि अप्रार्थीगण के पिता श्री पदमा पुत्र श्री दला को आवंटन हुई थी एवं आवंटन के समय अप्रार्थीगण के पिता को मौके पर हल्का पटवारी ने कब्जा सुपूर्द किया था। यह है कि जब तक अप्रार्थीगण के पिता जीवित रहे तब तक उसका उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त रहा एवं उनकी मृत्यु पश्चात अप्रार्थीगण श्री पदमा के वारिसान है एवं बतौर खातेदार काश्तकार मौके पर काबिज काश्त है। यह है कि प्रार्थी तहसीलदार ने गलत रूप से उक्त निगरानी प्रस्तुत की है। यह है कि उक्त कृषि भूमि नहर से सिचिंत है लेकिन काफी वर्षों से औसत बारिश नहीं होने से बांध में पानी नहीं आने से सिंचित नहीं हो पा रही है, जबकि अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा मुदरला, पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही के खसरा नं. 873/461 रकबा 0.18 बीघा किस्म बारानी–2 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश कमांक/राजस्व/अन्त्योदय/78/एस.पी.–2 दिनांक 29.08.1978 द्वारा अप्रार्थी श्री पदमा पुत्र श्री दला को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण दिनांक 06.09.1978 द्वारा अप्रार्थी श्री पदमा पुत्र श्री दला के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि पटवारी हल्का आमथला से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 18.06.2016 के अनुसार उक्त आंवटित आराजी पर अप्रार्थीगण का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं उक्त भूमि सडक में जाने से मौके पर कोई भूमि शेष नहीं बचती है। यह है कि अप्रार्थी के नाम राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तो की पालना नही करने पर आवंटन निरस्त करने का नियमो में प्रावधान है। विचारणीय प्रकरण में लम्बे समय से अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त कर कब्जा नही किया है, नियम 14 (3) के तहत उसे प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी । उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर काश्त किया जाना नही पाया जाता है। यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा की गई मौका रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जा नही है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को किसी तरह की कोई राहत दी जाना विधि संगत नही होगा ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मुदरला, पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही के खसरा नं. 873/461 रकबा 0.18 बीघा किस्म बारानी–2 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश क्रमांक/राजस्व/अन्त्योदय/78/एस.पी. –2 दिनांक 29.08.1978 द्वारा अप्रार्थी श्री पदमा पुत्र श्री दला को आवंटन की गई थी, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner